



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1424]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2016/ज्येष्ठ 19, 1938

No. 1424]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2016/ JYAISTHA 19, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

का.आ. 2023(अ).—यतः कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी), भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) का संयुक्त उद्यम है जिसमें दोनों की समान इक्विटी भागीदारी है।

2. यतः द्रुत जन परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कतिपय राजकोषीय रियायतें आवश्यक समझी गई थीं, जिनमें डीएमआरसी को पट्टे पर दी गई भूमि पर 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र के किराए की वसूली और उनको आबंटित भूमि पर डीएमआरसी द्वारा सम्पत्ति विकास करना शामिल था।

3. यतः शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 12.11.1996 के अपने आदेश सं. के-14011/59/88-यूडी- II के द्वारा दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के फेज- I के निवेश अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन की सूचना दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ भारत सरकार/रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार की स्वायत्त/सांविधिक निकायों/एजेंसियों से संबंधित भूमि, जो परियोजना के लिए अपेक्षित है, का कब्जा भारत सरकार/रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा एमओयूई द्वारा अधिसूचित अन्तर-विभागीय अन्तरण दरों पर लिया जाएगा। डीएमआरसी लि. को अंतरित की जाने वाली भूमि की कुल लागत को भारत सरकार और रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा समान अनुपात में शेयर किया जाएगा। परियोजना के लिए इस प्रकार कब्जा की गई/अधिगृहीत भूमि 1 रुपए प्रति वर्ष के नाममात्र के किराए पर 99 वर्ष के पट्टे पर डीएमआरसी को दी जाएगी जिसे वर्ष 21-25 के दौरान "अनुषंगी ऋण" (अर्थात् दीर्घ ऋण का पूर्णतः भुगतान किए जाने के बाद) के रूप में वसूले जाने वाले 'प्रीमियम' के रूप में अधिगृहीत भूमि की वास्तविक लागत माना जाएगा।

4. यतः दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के फेज-II और फेज-III के लिए शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 30.3.2006 के आदेश सं. के-14011/20/2005-एमआरटीएस और दिनांक 26.09.2011 के सं. के-14011/4/2009-एमआरटीएस के तहत जारी राष्ट्रपति की स्वीकृति में उपर्युक्त पैरा 3 में यथा उल्लिखित शर्तों को भी शामिल किया गया।
5. यतः दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के फेज-I, फेज-II और फेज-III के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के अनुसार, डीडीए को 1 रु. प्रति वर्ष के मामूली किराये पर 99 वर्ष के पट्टे पर डीएमआरसी को भूमि आबंटित करनी चाहिए।
6. यतः जैसाकि शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 30.03.2009 के आदेश सं. के-14011/08/2000-एमआरटीएस में बताया गया है कि दिल्ली एमआरटीएस फेज- I और फेज-II में क्रमशः दिनांक 12.11.1996 और 30.03.2006 के आदेशों के तहत पूंजीगत लागत के साथ-साथ सुस्थिर प्रचालनों के लिए संसाधन जुटाने के एक स्वीकार्य तरीके के रूप में डीएमआरसी द्वारा संपत्ति का विकास करने की व्यवस्था करने हेतु निवेश अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार, डीएमआरसी के संपत्ति विकास के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और कुछ यह सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा उपाय करने कि अधिकतम राजस्व सृजित करने के साथ-साथ भूमि/संपत्ति को एक विशेष अवधि के पश्चात सरकार/डीएमआरसी को वापस किया जाएगा, उक्त आदेश में डीएमआरसी द्वारा संपत्ति का विकास करने हेतु कुछ दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई।
7. यतः दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि " विभिन्न एजेंसियों द्वारा पूर्व में जारी सभी आबंटन पत्रों में उपर्युक्त खण्डों को उचित प्रकार से अन्तर्विष्ट करके संपत्ति का विकास करने संबंधी उपबंधों को शामिल करने हेतु आशोधित किया जाएगा। सभी भावी आबंटन पत्रों में भी ऐसे उपबंध शामिल किये जाएंगे। भूमि और विकास अधिकारी(एलएंडडीओ) द्वारा भूमि आबंटन / हस्तांतरण पत्रों में संशोधन / आशोधन के लिए प्रारूप की विधि और न्याय मंत्रालय से विधिक रूप से जांच करायी जाये और एलएंडडीओ तथा डीडीए जैसी भू-आबंटन एजेंसियों द्वारा समान रूप से इसका अनुपालन किया जाए।
8. यतः, इन निर्देशों के अनुसरण में, एलएंडडीओ ने दिनांक 10.11.2009 के पत्र सं. एल II-11(1786)/08/608 के द्वारा एमआरटीएस परियोजना के लिए डीएमआरसी को भूमि के वर्तमान आबंटनों के लिए निबंधनों और शर्तों को आशोधित किया है, जिन्हें विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और पुनरीक्षित किया गया था।
9. यतः बाद में दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के फेज-III के लिए शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 26.9.2011 के आदेश सं. के-14011/4/2009-एमआरटीएस के तहत जारी स्वीकृति में भी यह कहा गया है कि "डीएमआरसी द्वारा अर्जित भूमि पर संपत्ति विकास, मंत्रालय के दिनांक 30.03.2009 के आदेश सं. के-14011/8/2000-एमआरटीएस के तहत जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगा।"
10. यतः बाद में शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 30.03.2009 के पत्र के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसाकि ऊपर पैरा 7 में उद्धरित किया गया है, डीडीए को अपने आबंटन पत्रों में निबंधन और शर्तों को आशोधित करना चाहिए ताकि डीएमआरसी द्वारा संपत्ति का विकास किया जा सके।
11. अतः अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 41 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पट्टे पर आबंटित भूमि के किराये के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के 12.11.1996 के आदेश सं. के-14011/59/88-यूडी-II, दिनांक 30.03.2006 के सं. के-14011/20/2005-एमआरटीएस और दिनांक 26.09.2011 के सं. के-14011/4/2009-एमआरटीएस; तथा संपत्ति के विकास के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के 30.03.2009 के आदेश सं. के-14011/8/2000-एमआरटीएस और डीएमआरसी को आबंटित भूमि के लिए निबंधन और शर्तों में आशोधन के बारे में एलएंडडीओ के दिनांक 10.11.2009 के पत्र सं. एल II-11(1786)/08/608 के तहत भेजे गए मंत्रीमंडल के निर्णयों तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के अनुसार, केन्द्र सरकार एतद्वारा डीडीए को निर्देश देती है कि :
- (i) उनके द्वारा डीएमआरसी को आबंटित भूमि के लिए डीएमआरसी से 1/रु. प्रति वर्ष का नाममात्र का किराया लिया जाए; और

- (ii) एलएंडडीओ के दिनांक 10.11.2009 के पत्र सं. एल II-11(1786)/08/608 के अनुसार सम्पत्ति का विकास करने के लिए उपबंधों को शामिल करने हेतु डीएमआरसी को जारी पूर्व के सभी आबंटन पत्रों को आशोधित किया जाए, जिनकी विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विधिवत जांच की गई है; और डीएमआरसी को जारी सभी भावी आबंटन पत्रों में इसी प्रकार के उपबंध शामिल किए जाएं।

[फा. सं. जे-13036/02/2016-डीडी-V]

भूपेन्द्र बहुगुणा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2016

S.O. 2023(E).— Whereas, Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) registered under the Companies Act, 1956, is a joint venture of Government of India (GOI) and Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD), with equal equity participation of both.

2. Whereas, in order to ensure financial viability of the Mass Rapid Transit System (MRTS) project, certain fiscal concessions were considered necessary, which included charging nominal rent of ₹1/- per annum on the land leased to DMRC and facilitating property development by DMRC on land allotted to them.

3. Whereas, the Ministry of Urban Development (MoUD), vide its order No. K-14011/59/88-UD-II dated 12.11.1996, conveyed the approval of the Union Cabinet to the investment approval of Phase-I of the Delhi MRTS project which inter alia stated that *the land belonging to various Ministries/ Departments as well as autonomous/ statutory bodies/ agencies of the GOI/ GNCTD, which is required for the project, will be taken over by GOI/ GNCTD at inter-departmental transfer rates notified by the MOUAE. The total cost of the land to be transferred to DMRC Ltd. will be shared by the GOI and GNCTD in equal proportions. The land so taken over/ acquired for the project would be made over to the DMRC on 99 years' lease at a nominal rent of ₹1/- per annum, treating the actual cost of acquisition as "premium" to be recovered as interest-free "subordinate debt" during the years 21-25 (i.e after the senior debt has been fully repaid).*

4. Whereas, sanction of the President issued for Phase-II and Phase-III of the Delhi MRTS project vide MoUD's orders No. K-14011/20/2005-MRTS dated 30.03.2006 and No. K-14011/4/2009-MRTS dated 26.09.2011 also included the condition as mentioned at para 3 above.

5. Whereas, in accordance with the sanction of the President for Phases-I, II and III of Delhi MRTS project, DDA should allot the land to DMRC on 99 years lease at a nominal rent of ₹1/- per annum.

6. Whereas, as stated in MoUD's order No. K-14011/8/2000-MRTS dated 30.03.2009, sanction of the President accorded for investment approval in Delhi MRTS Phase-I and Phase-II, vide orders dated 12.11.1996 and 30.03.2006 respectively, provide for property development by DMRC as one of the accepted modes of resource mobilization towards capital cost as well as sustainable operations. Therefore, in order to facilitate the property development proposals of DMRC and to undertake certain safeguards to ensure that while maximizing revenue generation, the land/ property also reverts to Government/ DMRC after a specified period, the said order accorded sanction of the President for implementation of certain guidelines to facilitate property development by DMRC.

7. Whereas, the guidelines inter alia stated that *'All allotment letters issued in the past by various agencies shall be modified to include provisions to enable property development by incorporating the above mentioned clauses suitably. All future allotment letters shall also include similar provisions. The format for amendment/ modifications in the land allotment/ transfer letters would be got legally vetted by Land and Development Officer (L&DO) from Ministry of Law and Justice and followed uniformly by land allotting agencies like L&DO and DDA'.*

8. Whereas, in accordance with these directions, L&DO, vide letter No. LII-11(1786)/08/608 dated 10.11.2009, modified the terms and conditions for the existing allotments of land to DMRC for the MRTS project, which were approved and vetted by Ministry of Law and Justice.

9. Whereas, the sanction issued for the Phase-III of the Delhi MRTS project subsequently vide MoUD's order No. K-14011/4/2009-MRTS dated 26.09.2011 also states that '*Property development on land acquired by DMRC shall be governed by the guidelines issued vide Ministry's order No. K-14011/8/2000-MRTS dated 30.03.2009*'.

10. Whereas, in accordance with the instructions issued vide MoUD's letter dated 30.03.2009, as quoted in para 7 above, DDA should modify the terms and conditions of its allotment letters to enable property development by DMRC.

11. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 41 of the Delhi Development Act, 1957, and in accordance with the decisions of the Cabinet and sanction of the President conveyed vide MoUD's orders No. K-14011/59/88-UD-II dated 12.11.1996, No. K-14011/20/2005-MRTS dated 30.03.2006 and No. K-14011/4/2009-MRTS dated 26.09.2011 regarding rent for the land allotted on lease; and MoUD's order No. K-14011/8/2000-MRTS dated 30.03.2009 regarding property development and L&DO's letter No. LII-11(1786)/08/608 dated 10.11.2009 regarding modification in terms and conditions for the land allotted to DMRC, the Central Government hereby directs DDA to:

- (i) charge nominal rent of ₹1/- per annum from DMRC for the land allotted by it to DMRC; and
- (ii) modify its all earlier allotment letters issued to DMRC to include provisions to enable property development as per L&DO's letter No. LII-11(1786)/08/608 dated 10.11.2009, which has been duly vetted by Ministry of Law and Justice; and to include similar provisions in all future allotment letters to DMRC.

[F. No. J-13036/02/2016-DD-V]

BHUPENDRA BAHUGUNA, Under Secy.